Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भिवाड़ी, अलवर में उपनिरीक्षक पुलिस को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *26 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की अलवर प्रथम इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये उपनिरीक्षक पुलिस बलवान सिंह पुलिस थाना फूलबाग, जिला भिवाड़ी अलवर को परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. अलवर प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पुत्र को चोरी के मुकदमें में छोड़ने एवं राहत प्रदान करने की एवज में पुलिस थाना फूलबाग, भिवाड़ी, अलवर के उपनिरीक्षक पुलिस बलवान सिंह द्वारा 20 हजार रुपये की राशि रिश्वत के रूप में मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की अलवर प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री महेन्द्र कुमार एवं उनकी टीम** के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये बलवान सिंह पुत्र श्री झब्बूराम निवासी पाण्डवान, तहसील व थाना चरखीदादरी, जिला चरखीदादरी, हरियाणा हाल उपनिरीक्षक पुलिस थाना फूलबाग, भिवाड़ी अलवर को परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।